छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
** मंत्रालय **
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
....

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24 JUN 2025

File No. ESTB-1024(2)/411/2025-EXCISE :: दिनांक 14.06.2025 को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर द्वारा श्री राजेन्द्र नाथ तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी के प्रभार क्षेत्र अतंर्गत कम्पोजिट मदिरा दुकान, लालपुर, जिला - रायपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मदिरा दुकान के निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार मिलावटी मदिरा पाई गईः-

- कैप्टन क्लब व्हिस्की - 95 पेटी (प्रत्येक पेटी में 48 नग एवं प्रत्येक नग में 180 एमएल)
- सिंडिकेंट व्हिस्की - 59 पेटी (प्रत्येक पेटी में 48 नग एवं प्रत्येक नग में 180 एमएल)
- जम्मू स्पेशल व्हिस्की - 86 पेटी (प्रत्येक पेटी में 48 नग एवं प्रत्येक नग में 180 एमएल)
- गोवा स्पेशल व्हिस्की - 25 पेटी (प्रत्येक पेटी मे 48 नग एवं प्रत्येक नग में 180 एमएल)।

कुल योग- 265 पेटी पाव मदिरा जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 38 (क) के तहत् कार्यवाही की गई।

2/ निरीक्षण के दौरान मदिरा दुकान में अवैध मदिरा (बिना होलोग्राम की मदिरा) की 34 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की (प्रत्येक पेटी में 48 नग एवं प्रत्येक नग में 180 एमएल) बरामद की गई। जिस पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59 (क) के तहत् कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान मदिरा दुकान में मदिरा बिक्री राशि की जांच करने पर 12,10,480/- रूपये की कमी पायी गई।

3/ उपरोक्त से परिलक्षित है कि, श्री राजेन्द्र नाथ तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला- रायपुर के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत मदिरा दुकान में गंभीर श्रेणी की अनियमितता की गई है, जो उनके शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होकर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है।

....2/

4/ अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेन्द्र नाथ तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

5/ निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Devendra Singh Bhardwaj
Date: 24-06-2025
17:06:45

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

File No. ESTB-1024(2)/411/2025-EXCISE नवा रायपुर, दिनांक 24 JUN 2025

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।

(2) आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, जीएसटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

(3) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।

(4) कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।

(5) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग-रायपुर।

(6) उपायुक्त आबकारी, जिला - रायपुर (छ.ग.)।

(7) कोषालय अधिकारी, जिला- रायपुर (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(8) श्री राजेन्द्र नाथ तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर की ओर पालनार्थ।

(9) आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
KRISHNLAL KASHYAP
Date: 24-06-2025
17:20:50

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग